FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2020/00322

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 73/2020

प्रार्थी

अप्रार्थी

सरकार जरिये तहसीलदार लूणी बनाम जी.डी.ए. बोरिया

किस्म मुकदमा– अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर एक्ट 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम् जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25-7-20	तहसीलदार लूणी के द्वारा प्राप्त भू.अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के तहत जमाबन्दी में मौजूदा खसरों को राजस्व नक्शों में दर्ज खसरों से वन–टू–वन मिलान के मध्यनजर जिन खसरो में रेकर्ड, मौका व नक्शे में भिन्नता आ रही हैं यथा किसी सरकारी खसरे में से कई खातेदारो को पूर्व में गे.मु.बाड़ा एवं अन्य किस्म के छोटे–छोटे रकबे के खसरे आवंटित किये गये जिनका नामान्तरण पूश्त कर नजरी नक्शा आवंटन व आवटंन सम्बन्धी दस्तावेज इत्यादि उपलब्ध नहीं है जिनकी दिशा व स्थिति स्पष्ट नहीं हैं। अतः ऐसे खसरे को मूल खसरे में एकीकरण के प्रस्ताव हल्का पटवारी ......पीपरली...... मय अनुशंषा भू.अ.निरीक्षक ....धुन्धाड़ा...... एवं तहसीलदार लूणी से प्राप्त हुये, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम की धारा अन्तर्गत 131,136 के तहत मूल प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को माफिक प्राप्त मूल प्रस्ताव अनुसार (DILRMP) के तहत रेकर्ड में एकीकरण कर रेकर्ड दुरुस्ती करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी (जोधपुर)	

Scanned by CamScanner